र्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

तारीख दायरा:– 21.10.2020

रण संख्या : 10/2020

उनवान

न्द्रकला पत्नि मेघराज जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादीनी

बनाम

1. मेघराज पुत्र मथुरालाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. बाबूलाल पुत्र मथुरालाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. बद्रीलाल पुत्र मथुरालाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. परसराम पुत्र मथुरालाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. शान्ति बाई पत्नि मृतक नन्दकिशोर जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला हाल निवासी देवपुरा (पोलाई) तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. कमलेश बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नि रमेशचन्द्र जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी सरखन्डिया तहसील खानपुर जिला झालावाड।
7. संतोष बाई उर्फ सुनीता बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नि रमेशचन्द जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र योगेन्द्र माता स्व0 तुलसी देवी जाति किराड निवासी ग्राम सालपुरा तहसील अटरू जिला बांरा।
9. चन्दन कुमार पुत्र योगेन्द्र माता स्व0 तुलसी देवी जाति किराड निवासी ग्राम सालपुरा तहसील अटरू जिला बांरा।
10. बिट्टू नाबालिग पुत्र महेन्द्र (माता स्व0 अनीता पुत्री योगेन्द्र माता स्व0 तुलसा देवी) जाति किराड निवासी ग्राम शेधापुर तहसील छबडा जिला बांरा।
11. किन्नू नाबालिग पुत्री महेन्द्र (माता स्व0 अनीता पुत्री योगेन्द्र माता स्व0 तुलसा देवी) जाति किराड निवासी ग्राम शेधापुर तहसील छबडा जिला बांरा।
12. मंजू बाई पुत्री मथुरालाल पत्नि राजेन्द्र जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नियाणा तह0 बांरा जिला बांरा।
13. सुनिता बाई पत्नि स्व0 तेजप्रकाश जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।
14. जतिन कुमार नाबालिग पुत्र तेजप्रकाश जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 नाबालिग की जरिये वली माता खुद सुनिता बाई पत्नि स्व0 तेजप्रकाश जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
15. खुशी उर्फ तनीषा नाबालिग तेजप्रकाश जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 नाबालिग की जरिये वली माता खुद सुनिता बाई पत्नि स्व0 तेजप्रकाश जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
16. लिशाखा कुमारी पुत्री तेजप्रकाश जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sh
Date: 2022.02.17 15:23:49 IS
Reason: SelfAttested

17 प्रदीप पुत्र बृजगोपाल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।

18 विनोद पुत्र मूलचन्द जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।

19 महेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।

20 राजेन्द्र कंवरपाल माता स्व0 सुमित्रा जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

21 जितेन्द्र पुत्री कंवरपाल माता स्व0 सुमित्रा जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

22 मुकेशबाई पुत्री कंवरपाल माता स्व0 सुमित्रा जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

23 साक्षी नाबालिग पुत्री मनोज जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड नाबालिग की जरिये वली माता सुनिता पत्नि मनोज जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड।

24 योगेश नाबालिग पुत्र मनोज जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड नाबालिग की जरिये वली माता सुनिता पत्नि मनोज जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0।

25 सुनिता पत्नि स्व0 मनोज जाति किराड निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0।

26 सरपंच ग्राम पंचायत खडिया पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा ।

27 तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

अपील बनाराजगी इंतकाल सं. 562 ग्राम पंचायत खडिया सांगोद दिनांक 21.9.2020

उपस्थित :—

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण) दिनांक :— 26.10.2021

श्री नरेश गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का प्रस्तुत किया है कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम् कानून के सर्वथा विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के ससुर स्व0 मथुरा लाल पुत्र धूलीलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा में अपीलान्ट की सेवाओं से प्रसन्न होकर माल ग्राम उमरदा पटवार हलका उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की अपने खाते की आराजी

किता 30 की 29.63 है0 में से खसरा नं0 234 की 3.01 है0 खसरा नं0 236 की 4.03 है0 कुल
2 की कुल 7.04 है0 आराजी में निहित 1/2 हिस्से आराजी का दान किया था तथा जिसका
दान पत्र दिनांक 15.05.2013 को जिसका पंजीयन कमांक 2013000786 उपपंजीयक
सांगोद जिला कोटा से पंजीयन करवाया था उसी समय मौके पर कब्जा अपीलान्ट को
दिया था जो आज भी बदस्तूर है तथा उक्त दान पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त
किया है।

अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में उक्त दान पत्र से नामान्तरण दर्ज करने का वाद
चन्द्रकला बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर
था मात्र पटवारी हलका द्वारा यह कहने पर कि आपके वाद में उपजिला कलेक्टर न्यायालय
रिकार्ड की यथा स्थिति के बारे आदेश दिया हुआ है, इसलिये इन्तकाल दर्ज नही कर सकते
खारिज करवा लो दान पत्र के आधार पर हम ही इन्तकाल दर्ज कर देंगे इस आश्वासन के
आधार पर अपीलान्ट ने दावा वापिस लेकर तहसील में दान पत्र का नामान्तरण दर्ज करने का
प्रार्थना पत्र देने के बाद भी रजिस्टर्ड दान पत्र का नामान्तरण दर्ज नहीं कर वारिसान के आधार पर
नामान्तरण दर्ज कर देने से अपीलान्ट के लिए अपील प्रस्तुत करना आवश्यक होने से अपील पेश
करना आवश्यक हुआ है। अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं करके दिनांक 21.09.2020 को वारिसान
नामान्तरण दर्ज करने में भारी भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की
पालना नहीं की गई है इसलिए आदेश जेर ए अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फौती इन्तकाल ग्राम उमरदा जो जैरकार अपील है जिसमें
स्वर्गीय स्व0 मथुरा लाल पुत्र धूलीलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा
स्थान पर अपीलान्ट माल ग्राम उमरदा पटवार हलका उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा की ख0नं0
234 की 3.01 है0 ख0नं0 236 की 4.03 है0 कुल किता 2 की कुल 7.04 है0 की आराजी में निहित
1/2 हिस्से आराजी की एक मात्र दान पत्र से मालिक होने के बावजूद अपीलान्ट को अपने
अधिकारी से महरूम किया गया है ग्राम पंचायत को दान व रेस्पोडेन्ट को दान पत्र की पूर्व
जानकारी हाने के बावजूद अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हलका के द्वारा पेश किये दस्जावेजात को सही
मानकार निर्णय पारित किया है जबकि मृतक मथुरालाल के कई वारिसान की मृत्यु हो चुकी है
पटवारी हलका द्वारा मृतक व्यक्तियों के वारिसान के बजाय मृतक व्यक्तियों के नाम दर्ज किये
जो पटवारी हलका व रेस्पोडेन्ट द्वारा सोची समझी साजिश कर पूर्व [illegible] अधीनस्थ न्यायालय
को गुमराह करके निर्णय पारित करवा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 27 को दान पत्र का नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए पेश
किया था जिसको पटवारी हलका को नामान्तरण दर्ज करने के लिए आदेशित किया था इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana S
Date: 2022.02.17 15:23:49
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

रेस्पोडेन्ट नं0 27 के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हलका को दान पत्र की पूर्ण जानकारी थी जानकारी होने के बावजूद दान पत्र को नजर अन्दाज करके जानबूझकर विरासत का अधूरे वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने में भारी भूल की जो अपील जैरकार है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इन्तकाल नं0 562 ग्राम उमरदा ग्राम पंचायत खडिया द्वारा दिनांक 21.09.2020 को निरस्त कर स्वर्गीय स्व0 मथुरा लाल पुत्र धूलीलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर वाल ग्राम उमरदा पटवार हलका उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की खसरा नं0 234 की 3.01 है0 खसरा नं0 236 की 4.03 है0 कुल किता 2 की कुल 7.04 है0 की आराजी दान पत्र से मालिक अपीलान्ट चन्द्रकला पत्नि मेघराज जाति किराड निवासीनी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के नाम स्थानान्तरण दर्ज करने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिप्रार्थी की तलबी की गई। प्रतिप्रार्थी सं. 1, 7, 12 की ओर से वकील श्री मोहनलाल पोटर ने एवं प्रतिप्रार्थी सं. 2, 3, 4, 20, 22 की ओर से वकील श्री नरेश गौतम ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। शेष समस्त प्रतिप्रार्थीगण बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

इसके पश्चात वकील उभयपक्षकारान द्वारा बहस की गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि इन्तकाल सं. 562 दिनांक 21.9.2020 ग्राम पंचायत के स्तर पर केवल सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त इन्तकाल किसी कोरम द्वारा मेरिट पर तस्दीक नहीं किया गया है। पूर्व खातेदार स्व. मथुरालाल पुत्र धूलीलाल की मृत्यु वर्ष 2013 में हो चुकी थी जबकि मृतक मथुरालाल की आराजी का इन्तकाल वर्ष 2020 में खोला गया, यह 7 वर्ष की देरी अपने आप में ही विरासत के इंतकाल को विवादित सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उक्त विरासत का इन्तकाल 7 वर्ष बाद तस्दीक किया गया जिसके संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में दानपत्र होने एवं प्रकरण विवादित होने की जानकारी पूर्व से ही पटवारी एवं तहसीलदार को थी। पूर्व में प्रकरण संख्या [illegible] चन्द्रकला बनाम राज्य सरकार अंतर्गत धारा 88, 89 रा.का.अ. एवं टी.आई. [illegible] /13 में विवादित आराजी पर स्टे था। उक्त प्रकरण अपीलार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के मध्य दान पत्र के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कराने के पारिवारिक समझौते के बाद अपील [illegible] द्वारा वापस लिया गया था परन्तु प्रतिप्रार्थीगण ने पटवारी के साथ मिलकर पारिवारिक समझौते के विरूद्ध विरासत का इंतकाल दर्ज करा दिया जबकि यह स्पष्ट है कि यदि कोई पंजीकृत दस्तावेज मौजूद है तो उसी के आधार पर इंतकाल खुलना चाहिए ना कि विरासत के आधार पर। आराजी विवादित है यह पूर्णतः स्पष्ट था फिर भी पटवारी द्वारा 7 वर्ष की देरी से विरासत का इंतकाल तस्दीक हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested

...कर पंचायत के समक्ष पेश कर दिया गया जो कि काबिल खारिज है। प्रतिप्रार्थी द्वारा इंतकाल ...का डा0 के बयानों के आधार पर फर्जी होना बताया है यदि प्रतिप्रार्थी को लगता है कि दानपत्र फर्जी है तो उन्हें उसे खारिज करवाने के लिए सिविल न्यायालय में जाना चाहिए था। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है। प्रतिप्रार्थीगण ने घोषणा का जो दावा किया है वह चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिप्रार्थी पूर्व से ही खातेदार हैं एवं पुनः खातेदारी की उद्घोषणा कराने आये हैं जो व्यक्ति पूर्व से खातेदार है उसके पक्ष में किस प्रकार और क्या उद्घोषणा की जा सकती है। प्रतिप्रार्थी आराजी में अपना नाम होने के कारण आराजी को रहन अथवा बेचान आदि से अंतरित कर नामान्तरण का दुरूपयोग करना चाहते हैं अतः नामान्तरण रद्द होना चाहिए। यदि प्रतिप्रार्थीगण का आराजी पर कोई अधिकार बनता होगा तो वह नियमित वाद संख्या....... के अंतर्गत तय हो जाएगा। प्रतिप्रार्थीगण को इस दावे में कोई स्थगन आदेश भी प्राप्त नहीं है। चूंकि प्रकरण में वारिसान की जांच तहसीलदार द्वारा नहीं की जानी है पंजीकृत दानपत्र के आधार पर नामान्तरण खोला जाना है अतः न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार है कि वह नामान्तरण संख्या 562 दिनांक 21.9.2020 को खारिज फरमाकर अपीलार्थी के पक्ष में दानपत्र के आधार पर नामान्तरण खोले जाने के निर्देश तहसीलदार को फरमावें अथवा कम से कम नामान्तरण विवादित होने के कारण खारिज कर मृतक मथुरालाल के नाम पूर्व स्थिति बहाल करके मूल दावे के साथ अपील को संलग्न कर दिया जावें जिससे कोई भी पक्ष नामान्तरण का दुरूपयोग नहीं कर सके। आर.आर.डी. 1998 पेज 370, 371 पर भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ''चूंकि दोनों पक्षकारों के मध्य में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है अतः उक्त वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण संख्या 1172 की कार्यवाही को स्थगित रखी जाए। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर 1995 आर.आर.डी. 12 में यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि पक्षकारों के मध्य में वाद विचाराधीन है तो वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही लंबित रखी जावे तथा नामान्तरकरण यदि स्वीकृत कर दिया गया है उसे निरस्त कर दिया जावें। राजस्व मण्डल की एकल पीठ के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है तथा दोनों न्यायालयों के निर्णय को निरस्त किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में मृतक सुन्दर के नाम ही रहेगी तथा पक्षकारों के मध्य में जो वाद विचाराधीन है उसके निर्णय के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावें। हुक्म खुले न्यायालय में सुनाय गया।'' अपीलार्थी द्वारा अपील के पक्ष में 2021(1) डीएनजे [illegible] 2, आरआरडी 1995 पेज 120, आरआरडी अगस्त 2004 पेज 458, आरआरडी 1979 पेज 1, [illegible] 1984 पेज 482 एवं आरआरडी 1998 पेज 370 दृष्टांत पेश किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sha
Date: 2022.02.17 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि पूर्व में अपीलार्थी द्वारा वाद सं. 75/13 अंतर्गत धारा 88, 89 रा.का.अ. एवं टी.आई. 40/13 बउनवान चन्द्रकला बनाम सरकार पेश किया

प्रतिलिपि अधिकारी

था जिसमें अपीलार्थी को स्टे मिला हुआ था। उक्त वाद में अपीलार्थी मृतक मथुरालाल द्वारा
पीलार्थी के पक्ष में किए गए दानपत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाना चाहती थी।
न्तु मथुरालाल की मृत्यु के पश्चात राजस्व अधिकारी दानपत्र के आधार पर इन्तकाल नहीं
ोलकर विरासत के आधार पर इंतकाल खोलना चाहते हैं। क्योंकि उक्त वाद में अपीलार्थी द्वारा
थुरालाल के अन्य उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था। न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत
ने की सूचना होने पर मृतक मथुरालाल के उत्तराधिकारियों द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का
र्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम आवश्यक पक्षकार के रूप में वाद पत्र में जुडवाए गए। मथुरालाल
के समस्त उत्तराधिकारियों के पक्षकार बनने पर अपीलार्थी द्वारा स्वयं उक्त वाद पत्र बिना नवीन
दावा दायर करने की अनुमति के विड्रो कर लिया गया था। इसके पश्चात वकील प्रतिप्रार्थी द्वारा
व्यक्त किया गया कि दिनांक 15.5.2013 को मथुरालाल बांरा में अस्पताल में भर्ती थे तथा उसी दिन
मथुरालाल को अचेत अवस्था में सांय 5:20 पर कोटा रैफर करने हेतु डिस्चार्ज कर दिया गया था
तथा उक्त दानपत्र दिनांक 15.5.2013 को ही सांय 5.41 पर रजिस्टर्ड किया जाना अंकित है।
अपीलार्थी मात्र 20 मिनट के अंतराल में बांरा से सांगोद आए तथा मथुरालाल की अचेत अवस्था में
ही दानपत्र रजिस्टर्ड करवाया गया जो कि उक्त परिस्थितियों में सभंव नहीं था। उक्त दान पत्र
पूर्णतः फर्जी एवं कूटरचित है। प्रतिप्रार्थीगण द्वारा उक्त दान पत्र के संबंध में एफ.आई.आर. सं. 82
दिनांक 11.10.2014 को अंतर्गत धारा 420, 467, 468 आई.पी.सी. थाना बपावरकलां में चन्द्रकला के
विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था जो कि आदिनांक तक विचाराधीन है। दिनांक 15.5.2013 को
मथुरालाल को सांय 6.00 बजे पुनः कोटा हॉस्पिटल में भर्ती होना कराया गया। अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी
ने अपनी बहस में यह भी कहा कि पूर्व में खोला गया विरासत का फौती इंतकाल दोनों पक्षों ने
मिलकर खुलवाया था तथा अपीलार्थी की अपील में कहीं भी यह व्यक्त नहीं किया गया कि कोरम
के अभाव में उक्त विरासत का इंतकाल खोला गया है। प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में उज्र
किया कि मथुरालाल जी हस्ताक्षर करते थे जिसकी पुष्टि हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर
के रहननामे दिनांक 11.6.2010 से होती है किन्तु अपीलार्थी के पति एवं पुत्रों ने दानपत्र पर फर्जी
तरीके से अंगूठा निशानी लगाकर दानपत्र का पंजीयन करवा लिया था। साथ ही जिस दिन
विवादित भूमि का दानपत्र करवाया गया था उस दिन भूमि रहन भार से मुक्त नहीं थी जबकि
पंजीकृत दानपत्र के पैरा सं. 2 में स्पष्ट अंकित है कि विवादित आराजी समस्त प्र... व
भार से मुक्त है अतः उक्त दानपत्र अवैध है। विवादित आराजी मथुरालाल की स्वअर्जित ... न
होकर पैतृक संपत्ति थी जिसका दान अथवा वसीयत करने का मथुरालाल को कोई अधिकार नही
था अतः उक्त दान पत्र अवैध है। नामान्तरण केवल फिस्कल प्रोसेडिंग होती है, इससे किसी के
अधिकार तय नहीं होते हैं। अधिकार मूल दावे में ही तय होंगे एवं यह विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है
कि यदि किसी प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा का मूल वाद लंबित हो तो अपील मूल वाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Shara
Date: 2022.02.17 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय के साथ ही निस्तारित की जा सकती है, उससे पूर्व नहीं। अतः अपील को मूल वाद के साथ संलग्न किया जाना चाहिए इस स्तर पर अपील में कोई भी निर्णय पारित करना विधि के अनुकूल नहीं होगा।

रिपीटल में वकील अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि प्रकरण में कोई एफ.आई.आर. अनुसंधानाधीन नहीं है अपितु उसमें एफ.आर. लग चुकी है जो कि डाक्टर के बयानों के आधार पर ही लगी है। जहां तक दानकर्ता के नियमित रूप से हस्ताक्षर करने एवं दानपत्र पर अंगूठा निशानी करने का प्रश्न है तो यह बिन्दु पुलिस जांच में तय हो चुका है तथा एफ.आर. लग चुकी है। यह किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह अंगूठा निशानी लगाता है अथवा हस्ताक्षर करता है यह बात प्रतिप्रार्थी के संज्ञान में 5–6 वर्षो से थी तब प्रतिप्रार्थीगण पंजीकृत दानपत्र को खारिज कराने के लिए सिविल कोर्ट क्यों नहीं गए? वकील प्रतिप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि भूमि रहन थी फिर भी नामान्तरण दर्ज हो गया तो विरासत का इंतकाल भी जब दर्ज हुआ था उस समय भी भूमि रहन थी परन्तु चूंकि विरासत का इंतकाल प्रतिप्रार्थी के हितों के अनुकूल है इसलिए वे विरासत के इंतकाल के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। विरासत का इंतकाल खुलने के बाद प्रतिप्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण के आधार पर रिलीज डीड व रहननामे निष्पादित किए गए हैं इसी प्रकार वे भूमि बेचने पर भी आमादा हैं अतः नामान्तरण संख्या 562 दिनांक 21.9.2020 को खारिज फरमाकर अपीलार्थी के पक्ष में दानपत्र के आधार पर नामान्तरण खोले जाने के निर्देश तहसीलदार को फरमावें अथवा कम से कम नामान्तरण विवादित होने के कारण खारिज कर मृतक मथुरालाल के नाम पूर्व स्थिति बहाल करके मूल दावे के साथ अपील को संलग्न कर दिया जावें जिससे कोई भी पक्ष नामान्तरण का दुरूपयोग नहीं कर सके।

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य सही है कि विरासत का इंतकाल खुलने के बाद प्रतिप्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण के आधार पर रिलीज डीड व रहननामे निष्पादित किए गए हैं। अन्य बिन्दु मूल वाद तय होने के साथ मूल वाद के निर्णय के अनुसार ही तय किया जाना उचित होगा। परन्तु इस स्टेज में अपीलार्थी के इस तथ्य से सहमत हूँ कि विवादित नामान्तरण सं. 562 दिनांक 21.9.2020 खारिज कर विवादित आराजी पूर्ववत मृतक मथुरालाल के नाम दर्ज किया जाना उचित होगा जिससे कि आगे होने वाली बहुलवादिता से बचा जा [illegible] राजस्व मण्डल की नजीर आर.आर.डी. 1998 पेज 370, 371 हुबहू चस्पा होती है। [illegible] से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगोद को निर्देशित किया [illegible] नामान्तरण सं. 562 दिनांक 21.9.2020 को खारिज किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करते हु[illegible]तक मथुरालाल को खातेदार दर्ज किया जावें। तत्पश्चात मृतक मथुरालाल की कुल किता 30 की 29.63 है0 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं0 234 की 3.01 है0 खसरा नं0 236 की 4.03 है0 कुल किता 2 की कुल 7.04 है0 आराजी में निहित 1/2 हिस्से आराजी का वादिनी के हक में किए गए रजिस्ट्रर्ड दान पत्र दिनांक 15.05.2013 को जिसका पंजीयन कमांक 2013000786 है, को छोडते हुए शेष आराजी का पुनः नियमानुसार नामान्तरण दर्ज किया जावें। अपील अंतिम निर्णय हेतु मूल दावे के साथ संलग्न रहेगी। मूल दावे के निर्णय के साथ ही अपील में अंतिम निर्णय किया जावेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested